न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 131/2012–13
योगेन्द्र पासवान वनाम राज्य।

आदेश

30-3-2015

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी योगेन्द्र पासवान द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, सहरसा द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्व किये जाने संबंधी ज्ञापांक 2521–2 दिनांक– 24.09.2012 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 2521–2 दिनांक– 24.09.2012 द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति संख्या– 3/96 को रद्व कर दिया गया है। अपीलार्थी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरान्त अनुज्ञप्ति में दर्शित स्थल पर अपने घर में जन वितरण प्रणाली की दूकान वर्ष 1996 से चला रहे हैं और नियमित रूप से आवंटित खाद्यान्न का उठाव कर लाभार्थियों के बीच वितरण करते रहे हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहीं है। अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति दिनांक– 20.06.2012 तक के लिए थीं, जिसके नवीकरण हेतु अपीलार्थी ने नवीकरण शुल्क भी जमा कर दिया है। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप था कि अपीलार्थी ने मार्च 2011 से अक्टूबर 201 तक खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1030–2 दिनांक– 09.04.2011 द्वारा अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी थी। अपीलार्थी ने कारण–पृच्छा समर्पित कर कहा है कि बीमार हो जाने के कारण अपीलार्थी ने सक्षम पदाधिकारी के पास अवकाश हेतु आवेदन दिया था। अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 435–2 दिनांक– 27.09.20111 द्वारा छः महीने के लिए यथा 27.03.2012 तक की अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया गया। छः माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर अपीलार्थी ने आवंटन जारी करने हेतु आवेदन किया, परन्तु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा ने अपने आदेश में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए अनुज्ञप्ति रद्व किये जाने संबंधी पारित आदेश को गलत बतलाते हुए अपीलार्थी ने उक्त आदेश को रद्व कर अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के अनुज्ञप्ति रद्व करने का आदेश ज्ञापांक 2521–2 दिनांक 24.09.2012 का अवलोकन

किया। इन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया के जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 130–2 दिनांक–02.02.2012 के आधार पर श्री पासवान के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं इसके लिए मांगे गए स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद मानते हुए अनुज्ञप्ति रद्ध किया गया।

श्री योगेन्द्र पासवान के द्वारा दिनांक 14.08.2012 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सरहसा ने अपने आदेश में यह उल्लेख नहीं किया है, इनका स्पष्टीकरण किस बिन्दु पर असंतोष प्रद है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश तर्क संगत नहीं माना जा सकता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 2521–2 दिनांक 24.09.2012 को निरस्त किया जाता है। अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

30.3.2015

लेखापित एव शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 866-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 अप्रील, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/4/15

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

8/4/15